पंचम माला, खंड 55, अंक 1 सोमवार, 5 जनवरी, 1976/15 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV No. 1 Monday, January 5, 1976/Pausa 15, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 5 जनवरी, 1976/15 पौष, 1897 (शक)

No. 1, Monday, January 5, 1976/Pausa 15, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members .	(क)—(ञ)
सभा के अधिकारी	Officers of the House . . .	(ट)
मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet, Ministers of State and Deputy Ministers	(ठ)—(ढ)
अध्यक्ष पद से डा० जी० एस० ढिल्लों के त्यागपत्र के बारे में घोषणा	Announcement *re.* Resignation by Dr. G. S. Dhillon from the Office of the Speaker . . .	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1
(श्री एस० के० राय)	(Shri S. K. Rai)	
राष्ट्रपति का अभिभाषण – सभा पटल पर रखा गया	President's Address —Laid on the Table	1—12
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . . .	12—13
अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव	Motion *re.* Election of the Speaker .	13—20
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . . .	14
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	15
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	15
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	16
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony .	16
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo . .	17
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	17
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan . .	18
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	18
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . . .	19
श्री एस० एल० सक्सेना	Shri S. L. Saksena . . .	19
श्री जंबुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote .	19
अध्यक्ष महोदय (श्री बी० आर० भगत)	Mr. Speaker (Shri B. R. Bhagat) .	19

विषय	SUBJECT	PAGES
नये मंत्रियों का परिचय	Introduction of new Ministers .	20
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	20-25
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक :	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill :	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन,	(*i*) Report of Joint Committee .	25
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(*ii*) Evidence before Joint Committee .	25
संविधान (41वां संशोधन) विधेयक :	Constitution (Forty-first Amendment) Bill :	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha . .	25
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	25—26

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्रिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (वालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीर्ची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (वाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुग्रा)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (ग्रजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (ग्रडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (ग्रमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (ग्रहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (ग्रमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (ग्रमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)

शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)

संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)

सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)

सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)

सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)

सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)

सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)

सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)

साठे, श्री वसन्त (आकोला)

सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)

सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)

साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)

सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)

सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)

सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)

सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)

सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)

सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)

सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)

सुब्रावलु, श्री (मयूरम)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)

सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)

सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 5 जनवरी, 1976/15 पौष, 1897 (शक)

Monday, January 5, 1976/*Pausa* 15, 1897 (*Saka*)

लोक सभा बारह बजकर पन्द्रह मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Fifteen Minutes past Twelve of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष पद से डा० जी० एस० ढिल्लों के त्यागपत्र के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE. RESIGNATION BY DR. G. S. DHILLON FROM THE OFFICE OF THE SPEAKER

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है कि डा० जी० एस० ढिल्लों ने लोक सभा के अध्यक्षपद से 1 दिसम्बर, 1975 को प्रातः 7 बजे त्यागपत्र दे दिया है ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री एस० के० राय (सिक्किम)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

PRESIDENT'S ADDRESS

महासचिव : राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी, 1976 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये अभिभाषण की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

PRESIDENT'S ADDRESS

Honourable Members,

It gives me great pleasure to welcome you all and particularly to have in our midst the representatives of Sikkim, which became the 22nd State of the Indian Union in May, 1975. It will be the endeavour of Government to ensure speedy development of this neglected hill State.

2. Last year, while noting the positive trends in the economy arising out of the firm measures taken by Government, I drew attention to the efforts of some groups to disrupt the existing system and institutions and the danger this posed to the stability and progress of our country. I appealed to them to follow the path of discussion to bring about changes and welcomed suggestions for reform. It is most unfortunate that this appeal was not heeded. Groups and elements of widely differing persuasions joined together to paralyse the country's economic and political life. They clutched at every opportunity to create confusion in the minds of the people and to foment chaos and disorder. Their activities seriously threatened internal security. They were directed towards undermining Government's vigorous efforts to curb economic offences, increase production and ensure the smooth and speedy movement of goods in order to stem the rising tide of inflation, stabilise the economy and bring relief to the people. The nation's interests demanded firm and decisive action.

3. The declaration of emergency on June 25, 1975, the 20-point Economic Programme launched on July 1, 1975 and the steps taken to tone up efficiency in all spheres of national life have had a dramatic effect on the health of the nation. Diffidence and apathy have given place to confidence that we can face our problems successfully if we are disciplined and united, and do not allow our energies to be frittered away. Our people have given overwhelming support to the steps taken by the Government and have welcomed the change in the atmosphere in the country. Strengthened by this, decisive action has been taken by the Government on a wide front. Inflation has been checked. The over-all price level has come down by 10 per cent. when compared to the peak level reached in September, 1974, the fall in the price level of food articles being nearly 20 per cent. Stringent action has been taken against economic offences. Shortage of coal, power, intermediate goods like steel and cement and the dislocation and inefficient working of the transport system had severely strained the economy during 1973 and early 1974. This year production has increased and performance improved significantly in all these sectors. With the co-operation of workers, industrial peace has been maintained, save in a few isolated cases. Several distortions and imbalances that had developed in the economy have been corrected. As a result of this, the privileges enjoyed by some groups have been reduced. But it should be remembered that no single group can further its interests in isolation. The interests of each group are dependent on the soundness of the economy as a whole.

4. New vigour has been imparted to the implementation of programmes for the uplift of the poor. Rapid progress is being made in allotment of house sites to the landless, implementation of land reforms, increasing agricultural wages and giving relief from debts.

5. The problem of poverty cannot be solved in a short time. We can make a dent in it only through sustained hard work and discipline in all walks of life.

The new spirit that has been generated over the last few months should therefore be maintaind unimpaired.

6. The 20-Point Economic Programme will continue to be implemented with zeal. Government invites the full co-operation of the people as it is a peoples' programme and cannot be implemented by official agencies alsone.

7. We have a record kharif crop this year. The maximum quantity of grain will be procured so that farmers will not have to sell below the procurement price and in order to have sufficient stocks to meet any unforeseen eventuality.

8. We aim to extend irrigation to five million more hectares before 1979. Disputes between States have delayed a number of projects. Government will try to get acceptance of the concept of water as a national asset to be utilised to the best advantage of all the people. A National Water Resources Council with adequate powers to prepare master plans for river basins will be constituted. Meanwhile, efforts have been intensified to settle as many disputes as possible by bringing the concerned States together. As a result, agreements have been reached regarding some projects in the Narmada basin, the Rajghat project on the Betwa river and the Kadana project on the Mahi river. The recent agreement amongst five States on the utilisation of a major portion of the waters of the Godavari River is a landmark in the settlement of inter-State water dispute by negotiations. The Godavari basin covers a tenth of the area of the country and the agreement will enable the construction of projects to irrigate five million hectares of land.

9. The outlay on the annual plan this year is 25 per cent. higher than last year's. This will be further increased next year with emphasis on priority sectors so that the impulses of growth are quickened. Simultaneously, steps will be taken to ensure the modernisation of industries like textiles and sugar, which are engaged in the production of mass consumption goods and have been suffering from absolescence and sickness.

10. Industrial licensing policies and procedures have been under review. Controls which are no longer relevant will be removed to increase production in priority areas and widen the entrepreneurial base, consistent with the objectives of curbing the concentration of economic power.

11. International economic events of the last three years have imposed severe strain on our balance of payments. A big increase in exports is essential to achieve a self-reliant economy. Several measures have recently been initiated to promote exports. Special steps will be taken, with the assistance of State Governments, to increase exports of handlooms and handicrafts. A review of policies and procedures is being made so as to remove constraints and obstructions.

12. Measures to improve administrative efficiency will continue and will be expanded. Our administrative procedures and attitudes have remained largely unchanged, specially in the field of financial administration which affects the working of all wings of Government. Government has decided upon a comprehensive scheme of reform of financial administration, which will be put through this year. The maintenance of accounts of the Union will be departmentalised and separated from Audit. Rules and procedures for payment of salaries and pensions, maintenance of provident fund accounts, remittance and withdrawal of moneys and for sanction of expenditure will be simplified and modernised. Methods of evaluation of performance will have to be changed

in order to make the adminitration at every level result-oriented and accountable.

13. A major achievement in the field of health is the eradication of small pox. Strict vigil is being kept against the recurrence of this scourge. The campaign against other communicable diseases is being intensified.

14. We are aiming to reduce the birth rate to 30 per thousand in the next three years. To achieve this, the family planning programme will have to become a mass movement. New schemes of incentives and disincentives are being evolved to increase the acceptance of a small family.

15. Along with other countries, we observed 1975 as Inter-national Women's Year. The problems faced by women in a number of areas have been stuided in detail. The Ordinance guaranteeing to women equal remuneration for equal work will come before you this session. A National Plan for Women is being prepared, the implementation of which will help to remove some disabilities from which they suffer.

16. I congratulate our Space scientists and engineers on the construction of our first Satellite, Aryabhata. The successful working of the Satellite Instructional Television Experiment is a landmark in the practical application of science and technology for the benefit of the rural population. This Experiment will help us to decide on the use of television as a means of mass communication in rural areas.

17. The importance of developing new sources of energy has been recognised and work is being intensified in a number of areas. Bio-gas plants and the utilisation of solar energy are being given high priority.

18. I shall now deal with our relations with other countries.

19. We remain firm in our conviction that normal and friendly relations between all the countries of the sub-continent are essential for the progress of their peoples.

20. Recent events in Bangladesh have caused us anguish and concern. We were shocked and grieved by the brutal assassination of Sheikh Mujibur Rahman, the members of his family and his associates. Nevertheless, we have treated developments in Bangladesh entirely as an internal affair of that country. We are therefore distressed by the false propaganda that is being carried on in some quarters. In recent talks between representatives of the two countries, we have reaffirmed our desire for a peaceful border and a stable, strong and independent Bangladesh in which the interest and welfare of all sections of its people are safeguarded. Bangladesh emphasised its desire to continue the policy and ensuring equal rights to all its people, irrespective of caste, creed and religion.

21. I regret that the progress of implementation of the Simla Agreement has been slow because of disappointing response from Pakistan, which has continued a campaign of misrepresentation of India.

22. Our traditional bonds of friendship with Bhutan are growing. The programme of economic co-operation has taken a giant stride with the starting of work on the Chukha hydro-electric project.

23. Relations with our friendly neighbour, Nepal, were further strengthened by the visit to India of their Majesties the King and Queen in 1975. As a result

of the discussions held during the visit, there is better appreciation of the mutual advantages of a joint approach to the utilisation of waters of the rivers flowing into India from Nepal.

24. With Sri Lanka we have strengthened the tradition of informal and mutually beneficial exchanges and collaboration on matters of common interest. We have improved our economic, cultural and scientific links with Burma.

25. We have sought to strengthen our relations with our neighbours in South-East Asia as well as with Japan and other countries of East Asia. We rejoiced at the ending of the prolonged hostilities in Indo-China and have welcomed the negotiations leading to the reunification of the two Zones of Vietnam. We believe that a reunited Vietnam and a stable and economically strong Cambodia and Loas will constitute forces for peace and stability in South-East Asia. I visited Indonesia in March, 1975, where I found a growing awareness of the possibilities and mutual advantages of increased economic, industrial and technological co-operation between Indonesia and India.

26. We have close and friendly ties with Afghanistan, based on historical and cultural affinity and on similarity of approach to current problems. We are gratified that programmes of technical and economic co-operation are making good progress.

27. Our understanding and mutually beneficial exchanges with Iran have grown and become more varied. An important landmark in this process has been the signing of agreements for the development of the Kudremukh Iron Ore Project.

28. Economic, commercial and cultural contacts with the Arab countries continued to make progress. My visit to the Arab Republic of Egypt and the Sudan gave me deeper insight into the problems of West Asia. Government reaffirms its belief that lasting peace in West Asia will not be achieved until Arab territories seized by force are speedily vacated and the legitimate rights of the Palestinian people restored.

29. We greet Mozambique, Angola, Cape Verde, Sao Tome and Principe on their achievement of independence from centuries of Portuguese colonialism. We also welcome the emergence to independence of Comoros, Surinam and Papua New Guinea.

30. We cannot but condemn armed intervention by South Africa in the internal affairs of Angola. India has steadfastly supported the organisation of African unity and will join with Africa in all measures to end apartheid, to liberate Namibia and to end racist minority rule in Zimbawe and South Africa.

31. India's relations with the Soviet Union and countries in Eastern Europe are characterised by a spirit of warm friendship, understanding and mutually beneficial co-operation in a widening variety of fields. These countries have consistently supported India on all issues of vital concern. In the last few months, a number of high level visits have been exchanged and I visited Hungary and Yugoslavia.

32. In Europe, the successful conclusion of the conference on Security and Co-operation marks an important step in the consolidation of peace. This spirit of detente should extend to other parts of the world where conflict and tension persist. Our economic co-operation as well as relations in the fields of trade and

science and technology with the E.E.C. and other countries of Western Europe has continued to expand.

33. We desire a mature and constructive relationship with the United States of America. A serious effort should be made to understand each other with a view to strengthening peace, stability and co-operation.

34. The next conference of Heads of State and Government of non-aligned countries will be held in Sri Lanka in August this year. We are glad that the validity of non-alignment has come to be recognised more widely. At the same time attempts are being made to weaken and dilute the non-aligned movement. We shall continue to strive to preserve the fundamental principles of non-alignment and the solidarity and effectiveness of non-aligned countries.

35. The most striking feature of the world economy is dominance by a small number of rich countries. The developing poor countries bear the brunt of the burden. As each year passes, the problems of these countries become more acute. This trend must be reversed urgently and steps taken to establish a new world economic order. The consensus reached at the seventh special session of the United Nations General Assembly marks the beginning of a dialogue. In the Paris Conference on International Economic Co-operation, we contributed constructively in an effort to evolve equitable solutions to the problems of energy, the pricing of raw materials and industrial products and of the economic development of poor countries. We hope that concrete agreements for action will be reached in relevant international forms as early as possible.

36. Honourable Members, in view of the uncertainties of the international situation, especially on our sub-continent and the neighbourhood, the continuing challenge of forces of disruption at home and the need to accelerate our social and economic programmes, the nation should remain vigilant and disciplined. There must be constant effort to improve performance and bring about changes and reforms in every sphere of national life.

37. Before concluding, I should like to refer to the unprecedented tragedy in Chasnala Colliery, which has plunged the whole nation in deep sorrow. The work on clearing the mine of the flooded water is in progress. Several friendly countries and a number of organisations within the country have come forward to assist this operation. Government will spare no efforts to mitigate the sufferings of the affected families and to improve conditions of safety for workers.

38. Your present session will be a short one, but the agenda is heavy. In addition to pending business from the last session and the conversion of Ordinances into Acts of Parliament, you have to consider the bill on urban land, which will be introduced during the session. There is not a minute to waste. I am sure you will provide the clear, bold and firm lead which the people expect. I summon you to your labours and wish you all success. Jai Hind.

माननीय सदस्यगण,

मैं बहुत खुशी से आप सब का स्वागत करता हूं, खास कर सिक्किम के नुमाइन्दों का जो मई, 1975 में भारतीय युनियन का 22वां राज्य बना। सरकार की यह कोशिश होगी कि इस पिछड़े पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो।

2. पिछले साल, सरकार की मजबूत कार्रवाई की वजह से अर्थ-व्यवस्था में अच्छे नतीजों का जिक्र करते हुए मैंने आपका ध्यान कुछ जमातों की उन कोशिशों की तरफ भी दिलाया था जो मौजुदा

निज़ाम और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करना चाहती थीं जिससे देश की तरक्की और पायेदारी को खतरा पैदा हो गया था। मैंने उनसे अपील की थी कि तबदीलियां लाने के लिए वे बातचीत का रास्ता अपनायें और सुधार के लिए तजवीजों का स्वागत किया था। मुझे अफसोस है कि इस अपील पर कोई तवज्जो न दी गई। कुछ जमातें और ऐसे लोग, जिनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में रुकावट डालने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने लोगों के मन में गलत-फहमी पैदा करने और बदअमनी फैलाने के लिए हर मौके का गलत फायदा उठाना चाहा। उनकी इन कार्रवाइयों से देश की अन्दरूनी सलामती बड़े खतरे में पड़ गई थी। उनका मकसद था कि किस तरह आर्थिक अपराध रोकने, पैदावार बढ़ाने और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन पर काबू पाने, माल को सही ढंग और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने, अर्थ-व्यवस्था को पायेदार बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की जोरदार कोशिशों को नाकाम बनाया जाये। देश के हित में कड़ा और फैसलाकुन कदम उठाना लाज़मी हुआ।

3. 25 जून, 1975 के इमरजेंसी के एलान, 1 जुलाई, 1975 की 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम की घोषणा और कौमी जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों से राष्ट्र के जीवन पर नुमांयां असर पड़ा। मायुसी और बेहिसी की जगह जो एतमाद पैदा हुआ उससे हमें महसूस हुआ कि अगर हममें एकता और डिसिप्लिन हो और अपनी शक्ति को जाया न होने दें तो हम अपनी समस्याओं को कामयाबी से हल कर सकते हैं। जनता ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की भरपूर ताईद की है और देश की फिज़ा में आई हुई तबदीली का स्वागत किया है। इससे उत्साहित होकर सरकार ने बहुत से मामलों में फैसलाकुन कार्रवाई की है। इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया है। सितम्बर 1974 में बहुत बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले में अब औसतन दस फी सदी गिरावट आई है और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तकरीबन 20 फी सदी कमी हुई है। आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है। 1973 में और 1974 के शुरू में कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसी चीज़ों की कमी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ी और खराब कारकर्दगी से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। इस साल उत्पादन बढ़ा है और इन सभी क्षेत्रों के काम में नुमांयां सुधार हुआ हैं। मज़दूरों के सहयोग से कुछ को छोड़कर, सभी उद्योगों में, शान्ति रही है। हमारी इकतसादी हालत में जो बहुत से डिस्टार्शन्ज़ और इम्बैलेंसिज पैदा हो गये थे उनमें सुधार हुआ है। इसकी वजह से कुछ तबकों के जो विशेषाधिकार थे उनमें कमी हुई है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कोई भी तबका अलग रह कर सिर्फ अपने ही हितों को नहीं बढ़ा सकता है। हर एक तबके की भलाई का दारोमदार मजमुई इकतसादी मजबूती पर ही है।

4. गरीबों की बहबूदी के प्रोग्रामों में एक नई जान डाली गयी है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें घर बनाने के लिये जमीन दिलाने, भूमि सुधार लागू करने, खेती बाड़ी पर काम करने वालों की मजदूरी बढ़ाने और कर्जे से राहत दिलाने के काम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं।

5. गरीबी का हल थोड़े अर्से में नहीं निकाला जा सकता। लगातार कड़ी मेहनत और जिन्दगी के सभी शोबों में डिसिप्लिन से ही इसमें तबदीली लायी जा सकती है। इसलिये पिछले कुछ महीनों में जो नया जोश पैदा हुआ है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए और उसे जारी रखना है।

6. 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल किया जायेगा। सरकार जनता का पूरा सहयोग चाहती है, क्योंकि यह जनता का प्रोग्राम है और इसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों से ही नहीं चलाया जा सकता।

7. इस साल जैसी खरीफ की फसल पहले कभी नहीं हुई । अनाज की ज्यादा से ज्यादा वसूली की जाएगी ताकि किसान प्रोक्योर्मेंट प्राईस से कम पर अनाज बचने पर मजबूर न हो और साथ ही साथ नागहानी जरूरत के लिये हमारे पास काफी स्टाक हो ।

8. हम चाहते हैं कि 1979 के पहले ही और 50 लाख हैक्टेयर की सिंचाई का इन्तजाम हो सके । राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से कई प्रोजक्टों को शुरू करने में देरी हुई है । सरकार इस उसूल को मनवाने की कोशिश करेगी कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसका इस्तेमाल देश के बहतरीन फायदे के लिये होना चाहिये । नदी घाटियों के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिये एक नेशनल वाटर रिसोर्सिज कौंसिल काफी इख्त्यारात के साथ कायम की जाएगी । इस अर्से में सम्बन्धित राज्यों को एक साथ ला करके ज्यादा से ज्यादा झगड़ों को तय करने की तेजी से कोशिश की जा रही है । इसी कोशिश का नतीजा है कि नर्मदा घाटी के कुछ प्रोजेक्ट, बेतवा नदी पर राजघाट प्रोजेक्ट और माही नदी पर कदाना प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में समझौते हो गए हैं । हाल ही में, गोदावरी नदी के पानी के अधिक भाग के इस्तेमाल के सम्बन्ध में पांच राज्यों के बीच हुआ समझौता, राज्यों के दर्म्यान पानी के झगड़ों को बातचीत के जरिये हल करने की दिशा में एक अहम कदम है । गोदावरी घाटी देश के रकबे का दसवां हिस्सा है और इस समझौते से पचास लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी ।

9. इस साल सालाना योजना के लिये पिछले साल के मुकाबले में 25 फी सदी ज्यादा का प्रावधान है । प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर का ध्यान देते हुए इसे अगले साल और बढ़ाया जायेगा ताकि विकास की तहरीक में और तेजी आये । साथ ही साथ कपड़े और चीनी जैसे उद्योगों को, जो जनता की आम जरूरतों को पूरा करते हैं और जिनकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, जदीद बनाने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

10. सनअती लाईसैंसिंग की पालिसी और उसके काम करने के तरीकों पर फिर से गौर किया जा रहा है । आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने पर रोक-थाम लगाने की नीति का पालन करते हुए, प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और नई सनअतों को बढ़ावा देने की खातिर ऐसे कन्ट्रोल हटा दिये जायेंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है ।

11. पिछले 3 सालों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की वजह से हमारे बैलेंस आफ पेमेंट्स पर भारी बोझ पड़ा है । इक्तसादी हालत को आत्म निर्भर बनाने के लिए निर्यात में काफी इजाफा जरूरी है । निर्यात बढ़ाने के लिये हाल ही में कई कदम उठाये गए हैं । हैंडलूम और दस्तकारी की चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की मदद से खास कदम उठाए जायेंगे । रुकावटों और कमियों को दूर करने के लिये नीति और काम के तरीकों पर गौर किया जायेगा ।

12. इन्तजामी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की कोशिशों को जारी रखा जायेगा और इन्हें बढ़ाया जायेगा । हमारे इन्तजाम के तरीकों और नज़रियों में ज्यादा तबदीली नहीं हुई है, खास तौर से माली इन्तजाम में, जिसका असर सरकार के सभी क्षेत्रों की कार कर्दगी पर पड़ता है । सरकार ने माली इन्तजाम में सुधार लाने की एक मुकम्मिल योजना तैयार करने का फैसला किया है, जिस पर इस साल से अमल होगा । युनियन का हिसाब-किताब आडिट से अलग करके डिपार्टमेंटस के सुपुर्द किया जाएगा तनखाह और पैन्शन की अदायगी, प्रोविडेंट फण्ड का हिसाब-किताब, रुपया जमा करने, निकालने और खर्च की मंजुरी के नियम और तरीकों को आसान और जदीद बनाया जाएगा । कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का जायजा लेने के ढंग को बदलना होगा ताकि हर सतह पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार कर्दगी के बारे में जवाबदेही और रिजल्ट-औरिअंटिड हो ।

13. चेचक का जड़ से दूर करना सेहत के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। यह वबा दौबारा न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छूत की दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी मुहिम तेज की जा रही है।

14. हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले तीन सालों में जन्म दर घट कर 30 फी हजार आ जाये। इस मकसद को हासिल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जन-आन्दोलन का रूप लेना होगा। इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव की नई स्कीमें तैयार की जा रही हैं, ताकि छोटे परिवारों की मकबुलियत में इजाफा हो।

15. दूसरे देशों की तरह हमने भी 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया। बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के मामलों का तफसील से अध्ययन किया गया है। महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर उजरत दिलाने का आर्डिनेन्स इस सेशन में आपके सामने आएगा। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा रही है, जिसके अमल से उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जिनकी वे शिकार हैं।

16. पहले सेटलाइट "आर्यभट्ट" के निर्माण पर स्पेस साईंटिस्ट्स और इन्जीनियर्स को मैं बधाई देता हूं। देहात की जनता के हित में साइन्स और टैक्नालौजी को अमली तौर से इस्तेमाल में लाने के लिए सेटलाईट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपैरीमेंट की कामयाबी एक नुमायां कदम है। इस तजुर्बे से हम टेलिविजन को गांव में जन-सम्पर्क के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में तय कर सकेंगे।

17. अनर्जी के नए जरियों के विकास की अहमियत को मान लिया गया है और कई क्षेत्रों में काम को तेज किया जा रहा है। बायो-गैस और सोलर अनर्जी के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है।

18. अब मैं दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में जिक्र करूंगा।

19. हमारा यह पक्का विश्वास है कि इस उप-महाद्वीप के सभी देशों में सामान्य और दोस्ती के तालुकात आवाम की तरक्की के लिए जरूरी है।

20. बंगलादेश में हाल ही की घटनाओं से हमें दुःख और चिन्ता हुई। शेख मुजीबुर्रहमान, उनके परिवार और साथियों की बेरहमी से हत्या का हमें बड़ा दुःख और गहरा सदमा पहुंचा। फिर भी, हमने बंगलादेश की घटनाओं को उस देश का अन्दरूनी मामला समझा है। इसलिए, कुछ हल्कों में, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उससे हमें बहुत दुःख है। दोनों देशों के नुमाइन्दों के बीच हाल की बातचीत में हमने इस बात पर जोर दिया है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं और यह भी कि बंगलादेश पायेदार और स्वतन्त्र रहे जहां सभी तबके के लोगों के हित और कल्याण की रक्षा हो। बंगलादेश ने अपनी नीति बनाये रखने और अपनी जनता को, चाहे वह किसी भी जाति, मजहब या धर्म से तालक रखती हो, समान अधिकार देने की ख्वाहिश पर जोर दिया है।

21. मुझे दुःख है कि शिमला समझौते पर अमल की रफ्तार धीमी रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया निराशाजनक रहा है जो कि भारत की गलत तस्वीर पेश करने की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है।

22. भूटान के साथ दोस्ती के हमारे पुराने सम्बन्ध और बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। चूखा पनबिजली प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से आर्थिक सहयोग का प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ा है।

23. 1975 में नेपाल के महामहिम नरेश और महारानी की भारत यात्रा से उस मित्र पड़ोसी देश के साथ हमारे सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं। उनकी यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई, उसका नतीजा यह निकला कि नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में बाहमी फायदों का बेहतर अन्दाजा हुआ है।

24. श्री लंका के साथ हमने अनौपचारिक बातचीत और आपसी हित के मामलों में सहयोग की परम्परा को और मजबूत किया है। बर्मा के साथ हमने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और विज्ञान सम्बन्धी ताल्लुकात बढ़ाये हैं।

25. हमने दक्षिण-पूर्व एशिया तथा जापान और पूर्व एशिया के दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने की कोशिश की है। हिन्द-चीन में बहुत दिनों से चली आ रही लड़ाई खत्म होने पर हमें खुशी हुई और हमने उस समझौते का स्वागत किया, जिसके मुताबिक वियतनाम के दोनों इलाके फिर से एक दूसरे से मिल गये। हमारा विश्वास है कि रि-युनाईटिड वियतनाम और पायेदार और आर्थिक लिहाज़ से मज़बूत कम्बोडिया और लाओस दक्षिणी-पूर्व एशिया में शांति और इस्तेहकाम का बाईस होंगे। मैंने मार्च, 1975 में इन्डोनेशिया की यात्रा की, और पाया कि इन्डोनेशिया और भारत के बीच आपसी हित के आर्थिक, सनअती और टैक्नॉलोजीकल सहयोग के फायदे का अहसास बढ़ रहा है।

26. तारीखी और सांस्कृतिक समानता और मौजूदा मसलों पर एक जैसे नज़रिये के आधार पर अफगानिस्तान के साथ हमारे करीबी और दोस्ताना तालुकात हैं। हमें खुशी है कि टैक्नीकल और आर्थिक सहयोग के प्रोग्राम में अच्छी तरक्की हो रही है।

27. ईरान के साथ एक दूसरे के नजरिये को बेहतर समझने और आपसी हित के मामलों में हमारे आदान प्रदान बढ़े और फैले। खुदरेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट के विकास के लिये समझौतों पर दस्तखत होना इस सिलसिले में एक नुमायां कदम है।

28. अरब देशों के साथ आर्थिक, तिजारती और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। मिस्र अरब गणराज्य और सूडान यात्रा से मुझे पश्चिम एशिया की समस्याओं को और गहराई से समझने का मौका मिला है। सरकार अपने इस विश्वास पर जोर देती है कि जब तक ताकत के जोर से कब्जा की हुई अरबों की जमीन को खाली नहीं किया जाता और फिलिस्तीनियों को उनके जाइज़ हक वापिस नहीं दिये जाते, तब तक पश्चिम एशिया में पायेदार अमन कायम नहीं हो सकता।

29. मोजाम्बिक, अंगोला, केप वर्डे, सन तोमे और प्रिंसिपे को सदियों पुरानी पुर्तगाली कालोनियलिज्म से आजादी हासिल करने पर हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ, कमोरोस, सूरीनाम और पपुआ न्यू गिनी के स्वतन्त्र होने का हम स्वागत करते हैं।

30. हम अंगोला के अन्दरूनी मामलों में दक्षिणी अफ्रीका की हथियारबन्द मदाखलत की निन्दा करते हैं। भारत ने अफ्रीका एकता संगठन का बराबर समर्थन किया है और अपार्थाइड को खत्म करने, नमीबीया को आजाद कराने, जिम्बाबवे और दक्षिण अफ्रीका में माईनोरेटी रूल खत्म करने की सभी कोशिशों में भारत अफ्रीका का साथ देगा।

31. सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध गहरी दोस्ती, समझबूझ और बढ़ते हुए क्षेत्रों में आपसी हित में सहयोग की बुनियाद पर कायम हैं। इन देशों ने सभी अहम मामलों में भारत का हमेशा समर्थन किया है। पिछले महीनों में कई बड़े नमाइन्दे एक दूसरे के देश गये और मैंने हंगरी और यूगोस्लाविया की यात्रा की।

32. यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन की कामयाबी पायेदार शांति की तरफ एक अहम कदम है। तनाव कम करने की यह भावना दुनिया के उन देशों में भी फैलनी चाहिए जहां झगड़ा और तनाव अब भी है। ई० ई० सी० और पश्चिम यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार और साइंस टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में हमारे आर्थिक सहयोग और सम्बन्ध बढ़ रहे हैं।

33. हम चाहते हैं कि यू० एस० ए० के साथ हमारे सम्बन्ध पक्के और अमल पज़ीर हों। शांति, पायेदारी और सहयोग को मजबूत बनाने के लिये एक दूसरे के विचारों को समझने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

34. नान-एलाइन्ड देशों के राज्याध्यक्षों का अगला सम्मेलन इस साल अगस्त श्रीलंका में होगा। हमें खशी है कि नान-एलाइन्मेंट को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि नान-एलाइन्स मुवमेन्ट कमजोर और धीमी हो। हम गुटों से दूर रहने के बुनियादी असूलों और नान-एलाइन्ड देशों की एकता और प्रभाव बनाये रखने के लिए कोशिशें करते रहेंगे।

35. दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे खटकने वाली बात यह है कि इस पर कुछ अमीर देश हावी हैं और सारा बोझ गरीब और विकासशील देशों को सहना पड़ता है। ज्यों-ज्यों समय गुजरता है, इन देशों की समस्यायें और भी कठिन होती जा रही हैं। इस रुख को जल्दी बदलना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे दुनिया में एक नयी अर्थव्यवस्था कायम हो सके। यू० एन० जनरल असेम्बली के सातवें विशेष अधिवेशन में सबका इत्तेफाक राय होना आपसी बातचीत की शुरूआत में एक कदम है। अनर्जी, कच्चे माल और सनअती पैदावार की कीमतें मुकर्रर करने के लिए और गरीब देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का उचित हल निकालने की गरज से हमने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर पैरिस सम्मेलन में तामीरी हिस्सा लिया। हमें उम्मीद है कि सभी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द ठोस समझौते हो जायेंगे।

36. माननीय सदस्यगण, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में, खास कर हमारे सब-कोंटिनैंट और पड़ौसी देशों में गैर यकीनी हालत का होना देश में विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का जारी रहना और सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रामों को तेज करने की जरूरत मानते हुए राष्ट्र को चौकस और अनुशासित रहना होगा। कार्य कुशलता बढ़ाने और राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में तबदीली और सुधार लाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए।

37. खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि चासनाला कोयला खान के दर्दनाक वाकया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, का जिक्र करूं जिससे सारे देश में गहरा रंज छा गया है। खान से पानी निकालने का काम जारी है। बहुत से दोस्त मुल्क और देश में कई संस्थायें इस काम में मदद पहुंचाने के लिए आगे आई हैं। जिन परिवारों पर इस दुर्घटना से मुसीबत आई हैं उनकी तकलीफें दूर करने और खान मजदूरों की सुरक्षा के इन्तजाम में सुधार लाने के लिये सरकार कोई दकीका बाकी न रखेगी।

38. आपका यह अधिवेशन मुखत्सर होगा, लेकिन इसका एजेन्डा भारी है। पिछले सेशन के बकाया मामलों तथा आर्डिनैन्सों को पार्लियामेंट के एक्टों में बदलने के अलावा आप को इस अधिवेशन में

पेश किये जाने वाले अर्बन लैण्ड सम्बन्धी बिल पर विचार करना है। ऐसा वक्त है कि एक मिनट भी जाया नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि आप साफ, साहसपूर्ण और मजबूत रहनुमाई करेंगे जिसकी जनता आपसे आशा रखती है। मैं आपको इन अहम कामों को शुरू करने की दावत देता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

निधन संबन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

उपाध्यक्ष महोदयः आज हम लगभग पांच मास बाद मिल रहे हैं। इस बीच हमारे वर्तमान सदस्य श्री कामराज का निधन हो गया है और छः भूतपूर्व सदस्यों का भी स्वर्गवास हो गया। उनके नाम हैः श्री के० आर० अचर, डा० वी० सुब्रह्मण्यम, प्रो० के० के० भट्टाचार्य, श्री मैथ्यू मानियानगाडन, सरदार तेजा सिंह अकरपुरी और श्री बी० शिवराव।

श्री कामराज की मृत्यु 2 अक्तूबर, 1975 को मद्रास में हुई। वह एक महान राष्ट्रीय नेता और सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। वह तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वह पहली बार 1937 में मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। तत्पश्चात् 1946, 1952, 1957 और 1962 में वह पुनः चुने गये। वह वर्ष 1946--50 में संविधान सभा के सदस्य भी रहे। वह प्रथम और चौथी लोक सभा के सदस्य भी थे। उन्होंने छोटी आयु में ही देश के स्वतन्त्रता संग्राम में प्रवेश किया। वह अनेक बार जेल गये। वर्ष 1954--63 में वह मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री रहे। वह एक मितभाषी व्यक्ति थे, परन्तु उन्हें जो कार्य दिया जाता था उसे पूरी निष्ठा से करते थे। कड़ी मेहनत और निष्ठा के बल पर ही वह जीवन में इतनी सफलता प्राप्त कर सके। वह एक कुशल संगठनकर्ता और प्रशासक थे। देश के इतिहास के अत्यन्त कठिन अवसरों पर उन्होंने बड़ी विद्वता और नेतृत्व का परिचय दिया। उनके निधन से देश को बहुत बड़ी हानि हुई है।

श्री के० आर० अचर 1957-62 में दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। वह कर्नाटक के मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में विशेष कार्य किया था। उनकी 22 अगस्त, 1975 को मृत्यु हुई। डा० वी० सुब्रह्मण्यम 1946--50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया था और कई बार जेल गये थे। 18 अक्तूबर, 1975 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

प्रो० के० के० भट्टाचार्य अन्तरिम संसद के सदस्य थे। एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने कार्य आरम्भ किया था। बंगाल की न्यायिक सेवा से उन्होंने 1935 में त्यागपत्र दे दिया और स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल हो गये। वह शिक्षाविद थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि संकाय के अध्यक्ष रहे। उनकी 25 अक्तूबर, 1975 को इलाहाबाद में 77 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।

श्री मैथ्यू मानियानगाडन द्वितीय और तृतीय लोक सभा के सदस्य थे। वह केरल राज्य के कोट्टायम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे। इससे पहले वह ट्रावनकोर कोचीन राज्य की विधान सभा के सदस्य रहे थे। 14 नवम्बर, 1975 को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

सरदार तेजा सिंह अकरपुरी 1952--57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। वह पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे। उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और तीन वर्ष तक जेल में रहे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और अनेक गुरुद्वारा प्रबन्धक समितियों के सदस्य रहे। 20 नवम्बर, 1975 को उनका निधन हो गया। उनकी आयु 82 वर्ष थी।

श्री बी० शिवराव संविधान सभा, अन्तरिम संसद और प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। बाद में वह 1957 से 1960 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे। वह हमारे एक वयोवृद्ध पत्रकार थे। उन्होंने देश में पत्रकारिता, शिक्षा, संविधान निर्माण और श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह 1947–52 के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। 85 वर्ष की आयु में 15 दिसम्बर, 1975 को उनकी मृत्य हो गयी।

हम इन मित्रों की मृत्य पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और संतप्त परिवारों को अपने संवेदना सदेश भेजते हैं ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हुये ।

The House then stood in silence for a short while.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा निवेदन है कि सभा चासनाला में बड़ी संख्या में खान मजदूरों की मृत्य पर भी शोक व्यक्त करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसे पहले उठाना चाहिये था।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : हमें अभी यह नहीं मान लेना चाहिये कि उन सब की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

Motion re. Election of the Speaker.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

> "कि श्री बी० आर० भगत को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्री जगन्नाथराव जोशी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री डी० एन० सिंह (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान सम्बन्धित नियम अर्थात् नियम 7(4) की ओर दिलाता हूं । वह इस प्रकार है :

"जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और, यदि आवश्यक हुआ तो, विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे । यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति, बाद के प्रस्तावों को रखे बिना, घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है ।"

अब सभा में मतविभाजन होगा, क्योंकि दो नामों का प्रस्ताव किया गया है । प्रश्न यह है :

"कि श्री बी० आर० भगत को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 344 : विपक्ष में 58

Ayes 344 : Noes 58.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री बी० आर० भगत विधिवत इस सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं । वह एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं । साधारण सदस्य के रूप में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है । अब वह सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे और सदन की कार्यवाही को चलाने का भार उन पर होगा । मैं उन्हें अपना पूरा-पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूं ।

(श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री समर मुखर्जी, श्री बी० आर० भगत को अध्यक्षपीठ तक ले गये) ।

[अध्यक्ष महोदय (श्री बी० आर० भगत) पीठासीन हुये]

[Mr. Speaker (Shri B. R. Bhagat) in the Chair]

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सभा की नेता की हैसियत से मैं श्री बी० आर० भगत को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देती हूं । श्री भगत ने अपने जीवन का बड़ा भाग जनता की सेवा में व्यतीत किया है । उन्होंने संसदविज्ञ और मंत्री के रूप में बहुत काम किया है । अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने बहुत ख्याति पायी है ।

अध्यक्ष महोदय को महान परम्पराओं का संरक्षक होना होता है । उन्हें सभा की गरिमा को बनाये रखना होता है । सभा के सभी वर्गों के प्रति उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है ।

संसद की सर्वोच्चता जनता की सार्वभौमिकता की परिचायक है । संसद को जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए तथा उसकी नयी एवं पुरानी समस्याओं के समाधान खोजना चाहिए । हम संसद के अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसकी समस्याओं से निपटने की क्षमता बढ़ सके ।

मुझे यह कहते हुए संकोच होता है कि इस सदन के कुछ वर्गों ने विशेषाधिकारों द्वारा प्रदत्त संरक्षणों का दुरुपयोग किया है। जिसके फलस्वरूप संसद कमजोर हुई है।

पिछले छः महीनों में अनुशासन लाने एवं आत्म संयम को पुनरूज्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए गए हैं। इस सभा के सभी वर्गों एवं दलों को जनता की मूल समस्याओं के हल खोजने के यत्न करने चाहिएं। इसमें से प्रत्येक सदस्य को जनता के भार को हलका करने का यत्न करना चाहिए। इस काम के निष्पादन में अध्यक्ष महोदय का विशेष दायित्व है।

इस अवसर पर मैं डा० जी० एस० ढिल्लों की इस सदन की निष्पक्ष सेवाओं के लिए सराहना करती हूं।

मैं सभा की ओर से सभा के नए अध्यक्ष को शुभकामनायें तथा अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देती हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपके इस उच्च पद पर निर्वाचन पर आपको बधाई देता हूं।

आपका निर्वाचन ऐसी पृष्ठभूमि में हुआ है जिसका पहले कोई उदाहरण नहीं है। आपको बधाई देते समय मेरा हृदय आज बहुत भारी है क्योंकि हमारे बहुत से साथी आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द हैं और हम आपात स्थिति से गुजर रहे हैं।

संसद के कार्य को विशेष रूप से प्रतिपक्ष के कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया है और मुझे भय है कि आने वाले समय में यह उपहास मात्र बनकर न रह जायेगा। आज हमने जो आपका विरोध किया है वह व्यक्तिगत न होकर विशेष परिस्थितियों से बाधित है।

आज जिस वातावरण में विरोधी पक्ष को अपने विचार व्यक्त करने एवं उन्हें प्रकाशित करने से रोका जाता है यह अत्यन्त दुःखद बात है। अध्यक्ष के नाते आप पर भारी भार एवं उत्तरदायित्व है कि आप सदस्यों के विशेष रूप से विरोधी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करें। हम कुछ निर्वाचित क्षेत्रों एवं कुछ राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य जनता की समस्याओं की अभिव्यक्ति कर सके। इस बारे में आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा।

निर्धन वर्ग अर्थात् कामगारों का दल होने के नाते हम अनुभव करते हैं कि इस समय श्रमिक वर्ग बड़े कष्ट में है। हम क्योंकि उनमें काम करते हैं हमें उनकी समस्याओं को सदन में उठाना पड़ेगा। आशा है इस सदन में एक विशेष वातावरण बनाने का प्रयास किया जाएगा और हमारी आवाज को दबाया नहीं जायेगा।

मैं अध्यक्ष महोदय आपको अपने दल के पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर विवादास्पद मामलों को नहीं लिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपनी पार्टी की ओर से अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं और सभा की कार्यवाही में पूरा सहयोग देने और सभा की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन देता हूं। कुछ महीने पहले हमने ऐसी स्थिति का सामना किया, जिससे यदि और चलने दिया जाता तो उससे संसदीय प्रजातंत्र ही समाप्त हो जाता। आपने परामर्श दिया है कि विवादास्पद मामलों को न लिया

जाये अतएव मैं इन बातों को छोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय के ऊपर संसद को मूलभूत संस्था बनाये रखने का बहुत बड़ा भार है। इस सभा का संरक्षक होने के नाते संसद की सर्वोच्चता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है।

आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार संबंधी उप समिति के सभापति का कार्य सफलता पूर्वक निभाया था और शानदार उपलब्धियां प्राप्त की थी। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि आप इस उत्तरदायित्व को भी सफलता पूर्वक निभा पायेंगे। मुझे विश्वास है कि आप के हाथों में हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को अपने दल के सहयोग का आश्वासन देता हूं। ताकि संसद लोक सभा के सभी वर्गों के सस्दय अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का पूरा-पूरा उपयोग कर पायें।

श्री सेझियान (कम्बचुणम) : मैं डी० एम० के दल की ओर से अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। सदन में अध्यक्ष की सत्ता सर्वोच्च है तथा सदन के बाहर वह सदन का मुख्य प्रवक्ता है।

परम्परा से विपक्ष अध्यक्ष से संरक्षण की मांग करता आया है। सदस्यों को जो भी अधिकार प्राप्त है अध्यक्ष महोदय को उनकी रक्षा करनी होती है। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता के समय में संसद अधिक शक्ति प्राप्त करेगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि श्री भगत के लम्बे संसदीय जीवन को देखते हुए इस समय अध्यक्ष का पद सबसे अच्छे व्यक्ति को दिया जा रहा है।

मैं 1942-43 में जब विद्यार्थी था तो "अवर स्ट्रगल" नामक एक पत्रिका पढ़ा करता था जिसका सम्पादन श्री बी० आर० भगत किया करते थे जो कि आज इस सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

श्रीमान मैं अपने दल की ओर से आश्वासन देता हूं कि आपको हमारी ओर से पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आँग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा की नेता द्वारा आपके प्रति व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं।

मैं श्री बी० आर० भगत को इस सभा में एक साथी के रूप में गत 25 वर्षों से जानता हूं

मैं आपको इस महान पद पर आसीन होने पर बधाई देता हूं।

आपकी सर्व प्रथम बड़ी जिम्मेदारी संसद की स्वतंतता को कायम रखने की है। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि संसद कार्यपालिका से अप्रभावित रहे। यह सुनिश्चित करना आपका प्रथम कर्तव्य होगा कि संसद कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली न बने। आपकी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी यह भी होगी कि प्रत्येक सदस्य के प्रति निष्पक्ष रहें।

कई भुतपूर्व वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि अध्यक्ष को सभी दलों से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए।

जहां तक संसदीय-स्तर का सम्बन्ध है, गत दो-तीन वर्षों के दौरान मैंने कई बार संसदीय स्तर में हो रही गिरावट के प्रति ध्यान आकर्षित किया है किन्तु इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वाद-विवाद के दौरान कई-बार अध्यक्ष सभा पर नियंत्रण नहीं कर पाया। कभी अनुचित व्यवहार

करके अध्यक्ष पीठ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया गया । इस प्रकार संसदीय स्तर में गिरावट आई है । अन्त में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा भारतीय लोक दल की ओर से आपके अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं । यह जिम्मेदारी अब आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति के कंधों पर डाली गई है । यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको तब से जानता हूं जबकि आप और मैं पटना में एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे । स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान छात्र आन्दोलन में आप का योगदान सदैव याद रहेगा । आशा है कि आप अपनी योग्यता के बल पर प्रमुख अध्यक्षों में स्थान पाओगे ।

जब कि संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के बारे में अनेक प्रश्न हमारे सामने हैं मैं आप से आशा करता हूं कि आप संसदीय लोकतंत्र तथा संविधान को उचित संरक्षण प्रदान करेंगे ।

अंत में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा और आशा है कि यह सभा एक आदर्श संसदीय संस्था बनेगी । मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा की कार्यवाही के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाये ताकि जिन लोगों ने हमें यहां चुनकर भेजा है, उन्हें यह पता चल सके कि यहां क्या हो रहा है ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अध्यक्ष महोदय मैं आपको अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूं । यद्यपि मैंने अपना मत आपके विपक्ष में दिया तथापि वह एक प्रकार का प्रतीक था । मुझे आशा है कि आप आज से अपने आपको किसी भी दल से सम्बद्ध नहीं समझेंगे । आपके लिए अब सभी दल समान हैं और अब आप पूर्णतया निष्पक्ष रूप से सभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे । आशा है आप अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखोगेऔर कार्यपालिका के प्रभाव से अपने निर्णयों को अप्रभावित रखोगें । हम विरोधी पक्ष वाले आप से यही आशा रखते हैं । मैं आपको आश्वासन देता हूं और जनता मोर्चा की ओर से. . . . (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सभा में बर्ताव करने का सम्बन्ध है और जिसके बारे में विशेष उल्लेख भी किया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से इस सभा में मामले निपटाये जायें यह अधिकांशत अध्यक्ष पर निर्भर करता है । जब प्रधान मंत्री ने आपातस्थिति घोषित करते समय अपने पहले वक्तव्य में यह कहा था कि विरोधी पक्ष सरकारी कार्य में बाधक है, परन्तु उनके अपने दल के सदस्य इसका प्रदर्शन कर रहे हैं ।

सभा में कार्यवाही संतोषजनक ढंग से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के पास सभी अधिकार होते हैं । यदि सभा के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो अध्यक्ष को, अधिकार है कि वह प्रभावी कार्यवाही करे । अध्यक्ष को एक न्यायाधीश की तरह कार्य करते हुए यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि विरोधी पक्ष भी यहां अपने विचार व्यक्त करने के लिए है । यह ठीक है कि विरोधी पक्ष के सदस्य कम संख्या में हैं । ऐसी स्थिति में आपका यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय तथा स्वतंत्रता दी जाये । मुझे कोई संदेह नहीं कि आप ऐसा करेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूर्णतया निष्पक्ष होकर सभा की कार्यवाही चलायेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं आपको हमारे सभी दलों से पूर्ण सहयोग मिलेगा । हम इस बात की उपेक्षा भी नहीं कर सकते कि हमारे अधिकांश सदस्य कई महीनों से नजरबन्द हैं किन्तु उन्हें न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है ।

मुझे आशा है कि सभा के अधिकारों को बनाए रखने तथा विरोधी पक्ष को निर्भीकता तथा निडरता से अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप हर सम्भव प्रयास करेंगे ।

मैं पुन : आप को बधाई देता हूं ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, आण्णा-द्रुमक दल की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं ।

आप संसद के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं और आप को संसदीय प्रक्रिया, नियमों, विनियमों आदि का अत्यधिक अनुभव है । आप वाणिज्य, वित्त तथा विदेश मंत्री भी रहे हैं । इस प्रकार आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और निस्संदेह आप सभा का संचालन सराहनीय एवं संतोषजनक ढंग से कर लेंगे ।

आप को ज्ञात ही है कि हमारे संसदीय ढांचे में विरोधी पक्ष नितान्त आवश्यक है । लोकतंत्र के समुचित कार्यकरण के लिए यह आवश्यक है । यहां विरोधी पक्ष बहुत कमजोर तथा बिखरा हुआ है, अतः आप से अनुरोध है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें । इस सभा में आपका ध्यान अधिकतर विरोधी पक्ष के साथ होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, आपके पद की मुख्यत : ये चार विशेषताएं हैं । पहली निष्पक्षता, दूसरी, संयतता, तीसरी प्राधिकार और चौथी विशेषता है समायोजन । मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ही इस सभा का समुचित ढंग से मार्ग दर्शन करोगे ।

सदन में अर्थपूर्ण और ठीक तौर पर कार्य निष्पादन के लिए वातावरण बनाया जाना चाहिए । स्वतंत्र, स्पष्ट और निर्भीकतापूरक विचारअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलनी ही चाहिए और सरकार की नीतियों की असफलता की आलोचना सहन की जानी चाहिए । साथ ही इस स्वतंत्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए ।

अन्त में मेरा आप से अनुरोध है कि आप पिछले अध्यक्षों की शालीनता और अनुशासन की परम्पराएं कायम रखेंगे । मैं अपने दल की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम इस सदन की गरिमा बनाए रखने में सहायक होंगे । इसके साथ ही मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलकर (अहमदाबाद) : मैं भी अन्य सदस्यों के साथ आप को इस उच्च पद पर चुने जाने पर बधाई देता हूं । संसदीय लोकतंत्र की सफलता काफी सीमा तक अध्यक्ष और उसके कार्यकरण पर निर्भर है । इसी के द्वारा ही पूरे राष्ट्र की प्रभुसत्तापूर्ण इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रह सकती है । इस कार्य में हम सब अपना सहयोग देंगे और लोकतंत्र तथा जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे यद्यपि आपातस्थिति के बाद इस लोकतंत्र का काफी ह्रास हुआ है ।

संसदीय लोकतंत्र का अर्थ यदि निरंतर वाद-विवाद नहीं है, तथापि इसका अर्थ स्वतंत्र चर्चा का गला घोंटना भी नहीं है ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भान्ति विधान सभाओं और लोक सभा के अध्यक्ष को भी निर्भीकतापूर्वक निष्पक्ष निर्णय करने होते हैं और न्याय का ही पक्ष लेना होता है और आशा है कि आप भी इस शति के पांचवें और छठे दशकों के अध्यक्षों द्वारा सुस्थापित परिपाटियां पुनः चलाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मन और मस्तिष्क के अनेक गुणों से सम्पन्न हैं ।

हमने आपका विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है परन्तु सरकार के विरोध में किया है जिसने कम से कम अनौपचारिक रूप से हम से इस चुनाव के बारे में सलाह तक नहीं की है । तथापि, मैं आशा करता हूं कि इस कठिन समय में आप के नेतृत्व में यह सदन हमारे पूर्वजों द्वारा देश में लगाए गए पौधे को पुनःजीवित करेगा और वह दिनोदिन प्रगति करता रहेगा ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Sir, I hope that you will enhance the prestige of the office of the Speaker by your conduct, urbanity and flexibility, although it has been undermined by emergency which has gagged us more or less. In these circumstances it hardly matters whether you are partial or impartial.

I also want to sympathise with you because you will be the captive Speaker of a captive Parliament.

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): Sir, as one of the oldest Members, I have known you for the last twenty-five years and looking at your performance in various capacities, I am confident that you will distinguish yourself in this capacity also, although it is difficult job in these difficult times.

I would also request you to uphold the traditions of independence and impartiality established by the late Shri Vithalbhai Patel.

I heartily congratulate you on this election.

Shri Jambuvant Dhote (Nagpur): Sir, I congratulate you on your election as Speaker. Sir, the changing political life and emergency find a reflection in this House also and you might have noted that whereas the industrialists and capitalists have exploited this situation to the maximum, the labour class feels stifled It is therefore our responsibility to raise it here and your protection will be very much needed. The traditions established by him in our Parliamentary Democracy are before us.

I, on behalf of Forward Block and Mahavidarbha State Action Committee, welcome you to this high office.

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आप लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं जो आपने मुझे सदन के सर्वाधिक गौरवपूर्ण अध्यक्षपद के लिए योग्य समझा । अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए आप लोगों ने जहां मेरा स्वागत किया है वहां मुझे आश्वासन तथा चेतावनी भी दी गई है । मैं सदन की नेता, विरोधी दलों के नेताओं तथा आप सभी सदस्यों का आभारी हूं कि आप ने मुझे अपने विश्वास का पात्र बनाया । मैं समझता हूं कि इस पद के लिए मेरी असाधारण योग्यता केवल यही है कि मैं एक लम्बे समय से सदन का सदस्य चला आ रहा हूं तथा मुझे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न हैसियतों में सदन की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है परन्तु अध्यक्ष पद का कार्य भार उन सब से अलग तथा अधिक दायित्वपूर्ण है । इस पद की अपनी अलग परम्परायें हैं जिन्हें इस आसन पर आसीन होने वाले विभिन्न योग्य व्यक्तियों ने बनाये रखा है । अब जब मैं

इस गौरवशाली पद पर आसीन हो रहा हूं तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे विक्रमादित्य जैसे गुण प्रदान करे जिससे कि मैं इस पद का कायभार न्यायोचित तथा सफलतापूर्वक ढंग से चला सकूं ।

संसद हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है तथा इसकी सर्वोच्चता जनता की प्रभुसत्ता से ही परिलक्षित होती है । वाद-विवाद करते समय हमारा उद्देश्य यही होना चाहिये कि उससे संसद की प्रभुसत्ता तथा समस्याओं से निपटने की उसकी क्षमता को बढ़ावा मिले ।

अध्यक्ष सदन के सेवक के समान होता है और सदन के सभी दलों का उस पर समान अधिकार होता है । उसे अपने दायित्वों का पालन न्यायोचित तथा बिना भेदभाव के करना चाहिये । सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध जो नियम तथा परम्परायें बनाई जा चुकी हैं, कार्यसंचालन में वह मेरी मार्गदर्शक रहेंगी । सदन में प्रभावशाली ढंग से अपना नियंत्रण बनाये रखना तथा सदन का गौरव बनाये रखना ही, अध्यक्षपद का प्रमुख कार्य होता है और इसके लिये मैं आप लोगों के सहयोग की आशा करता हूं । इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं ।

नये मंत्रियों का परिचय

INTRODUCTION OF NEW MINISTERS

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाण ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गाँधी) मुझे सदन को अपने मंत्रिमंडल के नये मंत्रियों का परिचय कराते हुये प्रसन्नता हो रही है । मेरे नये सहयोगियों का विभागों सहित परिचय इस प्रकार है : श्री बंसीलाल, रक्षा मंत्री, डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों, नौवहन और परिवहन मंत्री, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री एच० के० एल० भगत, निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री, चौधरी राम सेवक, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री विट्ठल गाडगिल, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री, डा० सैयद मोहम्मद, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश

निर्माण और आवास तवथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छद 123(2) (क) के उपबन्धों के अन्तगत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 9 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 8) ।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 9 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित निर्वाचन विधियां (सिक्किम पर विस्तारण) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 9) ।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 10) ।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित बोनस संदयश अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 11) ।

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 12) ।

(छ:) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 13) ।

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित मोटरगाड़ी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 14) ।

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 8 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित आय और सम्पत्ति का स्वैच्छिक प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 15) ।

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 16) ।

(दस) राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित बन्धक श्रम प्रथा (निरसन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 17) ।

(ग्यारह) राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित भारतीय युनिट ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 18) ।

(बारह) राष्ट्रपति द्वारा 4 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आयात और निर्यात (नियंत्र ण संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 19) ।

(तेरह) राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 20) ।

(चौदह) राष्ट्रपति द्वारा 12 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 21) ।

(पन्द्रह) राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 22) ।

(सोलह) राष्ट्रपति द्वारा 29 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आय और सम्पत्ति का स्वैच्छिक प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 23) ।

(सत्रह) राष्ट्रपति द्वारा 1 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 24) ।

(अठारह) राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन आदेश, 1975 (1975 का संख्या 25) ।

(उन्नीस) राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 26) ।

(बीस) राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 27) ।

(इक्कीस) राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन का निवारण अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 28) ।

(बाईस) : राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 29) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 9944/76]

राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 30 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 572(ङ) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 नवम्बर, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) दिनांक 30 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 573(ङ) में प्रकाशित उपरोक्त घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1975 को जारी किये गये आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिनांक 29 नवम्बर, 1975 को भेजे गये प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 9945/76]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, जारी किये गये बाजार ऋण सम्बन्धी विवरण और $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बॉंड, 1985 का जारी किया जाना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति रखता हूं :—

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) कनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे उन तथा पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल०टी०—9947/76]

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1975 में जारी किए गए बाजार ऋण का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—9947/76]

5 3/4 प्रतिशत बांड, 1985 जारी करने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 533 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 9948/76]

भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा आपात स्थिति की उद्घोषणा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश

गृहमंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) दिनांक 11 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां नि० 443(ङ) में प्रकाशित भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, 1975

(दो) दिनांक 12 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 444 (ङ०) में प्रकाशित भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (तीसरा संशोधन) नियम, 1975

(तीन) दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 501(ङ) में प्रकाशित भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, 1975

(चार) दिनांक 7 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 552 (ङ०) में प्रकाशित भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (पांचवा संशोधन) नियम, 1975

(पांच) दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 557(ङ) में प्रकाशित भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (छठा संशोधन) नियम, 1975

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 9949/76]

(2) संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 25 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०सां०नि० 503 (ङ), जिसमें राष्ट्रपति का वह आदेश दिया हुआ है जिसके द्वारा दिनांक

5 दिसम्बर, 1971 का आदेश संख्या सा०सां०नि० 1843 और दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 का आदेश संख्या सा०सां०नि० 694 (ङ) रद्द किया गया है और दिनांक 27 जून, 1975 के आदेश संख्या सा०सां०नि० 361 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) दिनांक 14 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०सां० नि० 558 (ङ) जिसमें राष्ट्रपति का वह आदेश दिया हुआ है जिस के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) तथा अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारों को तब तक निलम्बित कर दिया गया है जब तक कि 3 दिसम्बर, 1971 तथा 25 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अन्तर्गत जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणाएं लागू हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 9950/76]

खाद्य अपमिश्रण संशोधन विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTRATION (AMENDMENT) BILL

(i) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(ii) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य :

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं ।

संविधान (41वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (FORTY-FIRST AMENDMENT) BILL

महासचिव : श्रीमान, मैं संविधान (41वां संशोधन) विधेयक 1975 राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : श्रीमान जी, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं और जिन की सूचना पहले 4 अगस्त को सदन को दी गई थी ।

(1) कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) दिल्ली विक्रय कर विधेयक, 1975

(3) सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक, 1975

श्रीमान जी मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चौदह विधेयकों की राज्य सभा के महा सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं जिनकी सूचना सदन को 4 अगस्त को दी गई थी।

(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) संविधान (38वां संशोधन) विधेयक, 1975

(3) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक, 1975

(4) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

(5) बैंककारी सेवा आयोग विधेयक, 1975

(6) तारयंत्र तार (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1975

(7) कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1975

(8) भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1975

(9) संविधान (39वां संशोधन) विधेयक, 1975

(10) भारतीय सिक्का (संशोधन) विधेयक, 1975

(11) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1975

(12) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1975

(13) राष्ट्रीय कैडेट कौर (संशोधन) विधेयक, 1975

(14) लोक वित्तीय संस्थान विधि संशोधन विधेयक, 1975

इसके पश्चात् लोक सभा 6 जनवरी, 1976/16 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, January 6, 1976/Pausa 16, 1897 (Saka).

GMGIPND—LS III—1774 LS—28-1-76—200.